UPRVUNL

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
कक्ष संख्या 1025, दश्म तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांकः 265 –उनिलि/2017/उप्रराविउसेआ/2017/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति) दिनाँकः 23 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 यथासंशोधित के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत श्रेणी पी–4, पी–5 एवं पी–6 के कुशल परिचालकीय कार्मिक, की "U.P. State Electricity Board Sub-ordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulation-1972" यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सा0ग्रे0) (वि0 एवं यॉ0) के 40 पदों पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप (संलग्नक–1 व 2) में आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त आवेदन पत्र अर्ह एवं इच्छुक कार्मिकों द्वारा उनके नियंत्रक अधिकारी (जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो) के माध्यम से सम्बन्धित ताप विद्युत गृह के परियोजना प्रमुख के कार्यालय में जमा करना होगा। परियोजना स्तर से परियोजना प्रमुख इनकी संगत विनियमावली के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करते हुए संलग्न प्रारूप (संलग्नक–3) में संयुक्त सूची सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ के कार्यालय को 20 दिवसों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगें। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जॉच तदोपरान्त कार्मिकों के विवरण का संकलन कराने हेतु परियोजना प्रमुख परियोजना स्तर पर आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी भी नामित कर सकते हैं।

संलग्नक : यथोपरि (संलग्नक–1, 2 एवं 3)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

पत्रांकः 265 –उनिलि/2017/उप्रराविउसेआ/2017/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति) तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ अफसर/निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य/वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ अफसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा ताप विद्युत गृह को संगत विनियमावली के यथा संशोधित अंकों के निर्धारण सम्बन्धी विनियम पत्रांक 08/उनिलि/रिफार्म/विनियम 157–37/2013 दिनांक 16.01.2014 एवं पत्रांक–50 उनिलि/रिफार्म/विनियमः168–27/2016 दिनांक 08.03.2016 की प्रति तथा अंको के निर्धारण संबंधी प्रारूप (संलग्नक–3) इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी पी–4, पी–5 एवं पी–6 पद से सम्बन्धित वर्तमान पदनाम/संशोधित पदनाम अर्हता एवं अन्य विवरण को भली–भांति संज्ञान में लेते हुए इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) में संपूर्ण विवरण तथा निगमादेशानुसार विभिन्न स्तम्भों में अंक अंकित कराते हुए परियोजनावार/इकाईवार अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं एक सी0डी0 में भी इस विवरण को Excel Formet में इस कार्यालय को 20 दिवसों में भेजना सुनिश्चित करेगें। निगम स्तर से तैयार की गयी संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के संगत अभिलेख यथा सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ एवं तकनीशियन श्रेणी–।। के पद पर प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि के साथ अंकित पृष्ठ तथा सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप एवं हाईस्कूल का अंक पत्र/प्रमाण पत्र की नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रति के साथ सम्बन्धित परियोजना/इकाईयों द्वारा यथासमय सेवा आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगें।
5. मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0)/मुख्य अभियन्ता, कार्मिक एवं प्रबन्धन (जल विद्युत निगम लि0), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वे कर्मचारी जो जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हों, को उपरोक्तानुसार सूचित करने की कृपा करें।

क्रमशः 2/–